

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून
वनादेश सं० 59 / 1-12(20) देहरादून दिनांक, 08.मई, 2020

पदोन्नति / तैनाती

इस कार्यालय के पत्रांक 106/1-12(20) दिनांक 18-07-2019 द्वारा मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति का गठन किया गया था। पदोन्नति समिति की दिनांक 03-09-2019 को बैठक आयोजित की गयी। पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक वेतनमान रू० 29200-92300 वेतन मैट्रिक्स लेवल-5 के कार्मिकों को प्रधान सहायक वेतनमान 35,400-1,12,400 वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति की जाती है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान कार्यालय जिसमें कार्यरत हैं
1	2	3
1	श्री हरी सिंह रावत	प्र०व० नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल
2	श्रीमती नीमा मेहरा	व० सं०, दक्षिणी कुमाऊ वृत्त नैनीताल
3	श्री किशन सिंह	प्र०व० चकराता वन प्रभाग कालसी
4	श्री सुमित बिष्ट	प्र०व० नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क जोशीमट
5	श्रीमती सुलेखा देवी	प्र०व० चकराता वन प्रभाग कालसी

1. उक्त कर्मचारियों द्वारा पदोन्नति का परित्याग करने पर उत्तराखण्ड शासन वित्त (बे०आ०-सा०मि०) अनुभाग-7 सं० 11/xxvii(7)30(14)/2017 दिनांक 04-03-2017 के संलग्नक-1 के बिन्दु सं० 22 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार अग्रोत्तर कार्यवाही की जायेगी।

2. संबंधित कर्मचारी दिनांक 19-05-2020 तक अपनी पदोन्नति पर योगदान देना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित तिथि तक पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान नहीं दिया जाता है तो संबंधित कर्मचारी का पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा यह मान लिया जायेगा कि संबंधित कार्मिक द्वारा पदोन्नति का परित्याग कर दिया गया है और कनिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति कर दी जायेगी।

3. उक्त पदोन्नत कार्मिक अपने तैनाती कार्यालय में ही पदोन्नति के पद पर योगदान देंगे। संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक, अपने अधिनस्थ कार्यालयों में रिक्त पदों एवं कार्य की आवश्यकता अनुसार यदि आवश्यक हो तो अलग से तैनाती आदेश करेंगे।

4. कर्मचारी की पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान अथवा पदोन्नति स्वीकार न करने संबंधी सूचना इस कार्यालय को, कर्मचारी के अवमुक्त/योगदान के तत्काल पश्चात् अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाये।

अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं ऑडिट

उत्तराखण्ड, देहरादून

प्राप्ति संख्या 4481

पत्रावली संख्या 1-R.Ro

दिनांक 12/5/2020

(मनोज चन्द्रन)

मुख्य वन संरक्षक

मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।

वनादेश सं० 59 (1)/1-12(20) तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, HoFF उत्तराखण्ड देहरादून।
2. संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक।
3. आदेश में अंकित समस्त कार्यालय/कर्मचारी द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
4. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. मु०व०सं०, आई०टी०जी०सी०, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।
6. अधिष्ठान/गार्ड बुक।

(मनोज चन्द्रन)

मुख्य वन संरक्षक

मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।

I.F.C.C

12.05.2020

caf

12/5/20